संख्या-46/2018/1145/तीस-4-2018-02(सा0)/18

प्रेषक,

जिन्नूरैन अहमद खाँ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2018

विषय: निष्प्रयोज्य घोषित कुल 09 वाहनो के सापेक्ष 09 अदद नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-44 स्टोर्स/इन्फ/2018-टीकवर/2014, दिनांक 25-07-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित कुल 09 वाहनों (यू0पी0 32/आर-5356 जीप, यू0पी0 32/एडब्ल्यू-3681 जीप, यू0पी0 76/जी-0121 जीप, यू0पी0 32/बीजी-0638 जीप, यू0पी0 32/बीजी-0639 जीप, यू0पी0 32/एडी-8000 कार, यू0पी0 32/बीजी-2219 जीप, यू0पी0 32/बीजी-1716 जीप एवं यू0पी0 32/बीजी-1725 जीप) के प्रतिस्थापन में कुल 08 अदद जीप बोलेरो-एलएक्स 2 डब्ल्यू डी बीएस 4 कर सहित मूल्य रू0 7,08,783.00 की दर से कुल रू0 56,70,264.00 (छप्पन लाख सत्तर हजार दो सौ चौसठ रूपये मात्र) तथा 01 अदद कार मेक सियाज डेल्टा, पेट्रोल मूल्य रू0 7,29,401.42 अर्थात कुल 09 वाहनों के लिए रू0 63,99,665.42(तिरसठ लाख निन्यानवे हजार छः सौ पैंसठ रूपये बयालिस पैसे) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वाहनों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों, वाहन की गुणवत्ता एवं Gem दर एवं Gem दरों की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर की जायेगी।
(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित उक्त वाहनों के स्थान पर पूर्व में नये वाहन क्रय न किये गये हों।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-43 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखा शीर्षक-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-641/दस-2018, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(जिन्नूरैन अहमद खाँ)
विशेष सचिव।

संख्या-46/2018/1145(1)/तीस-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(जिन्नूरैन अहमद खाँ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।